2022/263

श्रीमान जी,

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश कमांकः–पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थी संजय कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति अरोडा निवासी 23जी ब्लॉक जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसान प्रमाण पत्र, आई डी प्रूफ एवं मूल रसीद पेश कर निवेदन किया है कि मेरी माता मीरा देवी पत्नी ओमप्रकाश जाति अरोडा निवासी 23 जी ब्लॉक जिला श्रीगंगानगर ने दिनांक 27.11.2015 को वसीसत कस्टडी में रखवाई थी। जिनका देहांत दिनांक 05.03.2019 को हो गया था। उनके द्वारा दिनांक 27.11.2015 को रखवाई गयी बंद वसीयत खोला जाकर निष्पादन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी को गवाहान हरप्रीत सिंह वालिया पुत्र पृथ्वीपाल सिंह एवं अशोक सेठी पुत्र औंकार नाथ सेठी ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त अधिवक्ता श्री विकम बिश्नोई ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा कर सील्ड पैकेट बंद लिफाफा खोले जाने हेतु प्रस्तुत है।
अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।
जिला पंजीयक महोदय

1/8/22

स्वीकृत